

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF POWER
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.63
ANSWERED ON 08.02.2022

IPDS IN THE COUNTRY

63 # DR. KIRODI LAL MEENA:

Will the Minister of **POWER**
be pleased to state:

- (a) the salient features and the current status of implementation of the Integrated Power Development Scheme (IPDS) in the country;
- (b) the details of the total budgetary allocation made and funds released under the said scheme including Rajasthan, State/Union Territory-wise;
- (c) the steps taken by Government to reduce Aggregate Technical & Commercial (AT&C) losses and to ensure 24x7 power supply as mentioned under the objectives of the said scheme; and
- (d) the details of the completion of works under the said scheme in the various cities of Rajasthan?

A N S W E R

THE MINISTER OF POWER AND NEW & RENEWABLE ENERGY

(SHRI R.K. SINGH)

(a) to (d) : A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO. 63 ANSWERED IN THE RAJYA SABHA ON 08.02.2022 REGARDING IPDS IN THE COUNTRY

(a) to (d) : Government of India launched the Integrated Power Development Scheme (IPDS) in December, 2014 under which Distribution Infrastructure projects such as Strengthening of sub-transmission and distribution networks in urban areas; Metering of distribution transformers / feeders / consumers in the urban areas; IT enablement works; Enterprise Resource Planning (ERP); Smart metering; Gas insulated Sub-stations (GIS); and, Real Time Data Acquisition System (RT-DAS) are executed.

So far, projects worth Rs.30,802 Crore [with Government of India (GoI) Grant of Rs. 19,322 Crore] have been sanctioned under IPDS covering project components outlined herein, of which GoI grant of Rs.16,717 Crore has been released to States/UTs. The State-wise sanctions and disbursements made under IPDS including the State of Rajasthan are at **Annexure-I**.

Under IPDS, System strengthening and distribution (ST&D) projects covering 547 Circles in 33 States/UTs were taken up. Out of these, the distribution system strengthening works in 544 circles have been successfully completed. The status of implementation under IPDS System strengthening project for major works completed is at **Annexure-II**.

Under IPDS, Central funding is being provided for strengthening of sub-transmission & distribution networks in the urban areas and metering of distribution transformers/feeders/consumers for reduction of Aggregate Technical & commercial (AT&C) losses. Funds have also been sanctioned under IPDS for underground (UG) cabling and Aerial Bunched (AB) cables and metering, which help in reducing AT&C losses.

Apart from IPDS, the Government has recently launched a Reforms based results Linked Distribution Scheme for Distribution utilities and a scheme for additional borrowings, both of which have linked financial incentives to reform in the areas of AT&C losses reduction and reliability of power supply. Reforms and financial incentives have been made inextricably linked to release of funds to Distribution utilities and States in this regard.

The details of work completed under IPDS covering various cities of Rajasthan (under Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. (AVVNL), Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (JaVVNL) & Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. (JdVVNL) Discoms) are at **Annexure-III**.

ANNEXURE-I

ANNEXURE REFERRED TO IN PARTS (a) TO (d) OF THE STATEMENT LAID IN REPLY TO STARRED QUESTION NO. 63 ANSWERED IN THE RAJY SABHA ON 08.02.2022 REGARDING IPDS IN THE COUNTRY

State-wise details of amount sanctioned and disbursed under IPDS (as on 17.01.2022)

(Amount in Rs. in Cr)

S. No.	State	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Disbursed
1	A&N Islands	31	19	10
2	Andhra Pradesh	879	529	501
3	Arunachal	159	135	107
4	Assam	716	609	540
5	Bihar	3,125	1,881	1,427
6	Chhattisgarh	619	373	318
7	Delhi	198	119	90
8	Goa	84	51	44
9	Gujarat	1,067	642	650
10	Haryana	447	269	182
11	Himachal Pradesh	190	162	127
12	Jammu & Kashmir / Ladakh	472	402	341
13	Jharkhand	768	462	380
14	Karnataka	1,358	818	753
15	Kerala	659	397	392
16	Maharashtra	2,551	1,536	1,299
17	Manipur	134	114	96
18	Meghalaya	108	92	55
19	Mizoram	111	95	82
20	Madhya Pradesh	1,674	1,008	919
21	Nagaland	135	115	100
22	Odisha	1,153	694	590
23	Puducherry	22	13	9
24	Punjab	457	275	236
25	Rajasthan	1,550	933	782
26	Sikkim	161	137	92
27	Tamil Nadu	1,745	1,051	1,010
28	Telangana	752	453	449
29	Tripura	221	188	134
30	Uttar Pradesh	5,472	3,294	2,940
31	Uttarakhand	725	617	477
32	West Bengal	3,059	1,841	1,586
	Total	30,802	19,322	16,717

ANNEXURE-II

ANNEXURE REFERRED TO IN PARTS (a) TO (d) OF THE STATEMENT LAID IN REPLY TO STARRED QUESTION NO. 63 ANSWERED IN THE RAJY SABHA ON 08.02.2022 REGARDING IPDS IN THE COUNTRY

Status of implementation of System strengthening project for major works completed under IPDS

Items (Unit)	Target (awarded quantity by Utilities)	Achievement (Executed quantity by Utilities)
New Power Sub Station (Nos.)	999	985
HT Lines (cKm)	24,133	23,489
LT Lines (cKm)	10,718	10,416
AB Cable (cKm)	65,016	62,811
UG Cable (cKm)	21,894	20,588
Roof Top Solar Panels (kWp)	46,500	45,725

(Source: PFC)

**ANNEXURE REFERRED TO IN PARTS (a) TO (d) OF THE STATEMENT
LAID IN REPLY TO STARRED QUESTION NO. 63 ANSWERED IN THE
RAJY SABHA ON 08.02.2022 REGARDING IPDS IN THE COUNTRY**

IPDS/R-APDRP implementation in Rajasthan (AVVNL, JaVVNL & JdVVNL)

Amount Rs. in Cr.

1. System Strengthening & Distribution Project (ST&D)

Circle-wise financial status under IPDS System Strengthening Projects for Rajasthan Discoms

Sl. No.	Name of Utility	No. of Circles Sanctioned / Completed	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Released
1	AVVNL	12/12	425	256	250
2	JaVVNL	13/13	509	307	294
3	JdVVNL	10/10	382	230	213
	Total	35/35	1316	793	757

(Source: PFC)

BoQ (Major Infra Works)-wise IPDS Physical Progress Status of 35 Completed Circles

Particulars	Unit	AVVNL	JaVVNL	JdVVNL	Total
New Substations	Nos.	49	37	41	127
Substation Augmentation	Nos.	59	89	47	195
Distribution Transformers	Nos	766	797	832	2395
HT Lines	CKms	325	80	259	664
LT Lines	CKms	16	22	43	81
Aerial Bunch Cables	CKms	31	33	15	79
UG Cables	CKms	483	1451	884	2817
Solar Panels	Kwp	220	168	-	388

(Source: PFC)

2. GIS Substation Project

Sl. No.	Name of Utility	No. of Substation	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Released
1	JaVVNL	4	30	18	5

(Source: PFC)

3. SMART Metering Project

Sl. No.	Name of Utility	No. of meter Sanctioned	No. of meter installed	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Released
1	AVVNL	1,88,860	68,339	38	23	4
2	JaVVNL	2,81,782	1,72,632	57	34	10
3	JdVVNL	97,158	55,735	20	12	2
	Total	5,67,800	2,96,706	114	69	16

(Source: PFC)

4. IT PHASE II

Sl. No.	Name of Utility	Towns	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Released	Status
1	AVVNL	36	11	7	1	Work Completed
2	JdVVNL	25	9	5	1	
	Total	61	20	12	2	

(Source: PFC)

5. ERP

Sl. No.	Name of Utility	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Released	Status
1	AVVNL	12	8	0.12	Work Completed
2	JaVVNL	22	13	0.27	
3	JdVVNL	22	13	0.10	
	Total	56	34	0.49	

(Source: PFC)

6. RT-DAS

Sl. No.	Name of Utility	Approved Cost	GoI Grant	GoI Grant Released
1	AVVNL	7	4	0.56
2	JdVVNL	6	4	0.54
	Total	13	8	1.10

(Source: PFC)

RAPDRP**1. Part A IT**

Sl. No.	Name of Utility	No. of Towns	Approved Cost	GoI Loan Sanction	GoI Loan Released	Status
1	AVVNL	30	53	53	16	Work Completed
2	JaVVNL	27	164	164	84	
3	JdVVNL	30	100	100	30	
	Total	87	316	316	130	

(Source: PFC)

2. Part A (SCADA)

Sl. No.	Name of Utility	No. of Towns	Approved Cost	GoI Loan Sanction	GoI Loan Released	Status
1	AVVNL	1	7	7	6	Work Completed
2	JaVVNL	2	23	23	22	
3	JdVVNL	2	18	18	17	
	Total	5	48	48	45	

(Source: PFC)

3. Part B

Sl. No.	Name of Utility	No. of Towns	Approved Cost	GoI Loan Sanction	GoI Loan Released	Status
1	AVVNL	30	371	93	93	Work Completed
2	JaVVNL	23	513	128	128	
3	JdVVNL	29	596	149	149	
	Total	82	1480	370	370	

(Source: PFC)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-63

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

देश में समेकित विद्युत विकास योजना

*63. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना-कितना बजटीय आबंटन किया गया और कितनी निधि जारी की गई;
- (ग) सरकार द्वारा कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने तथा इस योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत यथा उल्लिखित चौबीसो घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न शहरों में कार्यों के पूरा होने से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“देश में समेकित विद्युत विकास योजना” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की थी, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढीकरण, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्य; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस); और, रीयल टाईम डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएस) जैसी वितरण अवसंरचना परियोजनाएं निष्पादित की जाती हैं।

अब तक, यहां उल्लिखित परियोजना घटकों को शामिल करते हुए आईपीडीएस के अंतर्गत 30,802 करोड़ रुपये की परियोजनाएं [भारत सरकार के 19,322 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ] संस्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 16,717 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य सहित आईपीडीएस के अंतर्गत की गई राज्य-वार संस्वीकृतियां और संवितरण के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

आईपीडीएस के अंतर्गत, 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 547 सर्किलों को शामिल करते हुए प्रणाली सुदृढीकरण और वितरण (एसटी एंड डी) परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इनमें से, 544 सर्किलों में वितरण प्रणाली सुदृढीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आईपीडीएस प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए प्रमुख कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-II** पर दी गई है।

आईपीडीएस के अंतर्गत, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढीकरण करने और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्तपोषण किया जा रहा है। आईपीडीएस के अंतर्गत भूमिगत (यूजी) केबलिंग और एरियल बंचड (एबी) केबल और मीटरिंग के लिए भी निधियां संस्वीकृति की गई हैं, जो एटीएंडसी हानियों को कम करने में सहायता करती हैं।

आईपीडीएस के अलावा, सरकार ने हाल ही में वितरण यूटिलिटियों के लिए एक सुधार आधारित परिणाम संबंधी वितरण स्कीम और अतिरिक्त उधारियों के लिए एक स्कीम शुरू की है, इन दोनों ही स्कीमों से एटीएंडसी हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता के क्षेत्रों में सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को जोड़ा गया है। सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों को इस संबंध में अलंघनीय रूप से वितरण यूटिलिटियों और राज्यों को निधियां जारी करने से जोड़ा गया है।

राजस्थान के विभिन्न शहरों [अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेएवीवीएनएल) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) डिस्कॉमों के अंतर्गत] को शामिल करते हुए आईपीडीएस के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यों के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

अनुबंध-1

“देश में समेकित विद्युत विकास योजना” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

**आईपीडीएस के तहत स्वीकृत और संवितरित राशि का राज्यवार विवरण
(17.01.2022 की स्थिति के अनुसार)**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा अनुदान संवितरित
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	19	10
2	आंध्र प्रदेश	879	529	501
3	अरुणाचल	159	135	107
4	असम	716	609	540
5	बिहार	3,125	1,881	1,427
6	छत्तीसगढ़	619	373	318
7	दिल्ली	198	119	90
8	गोवा	84	51	44
9	गुजरात	1,067	642	650
10	हरियाणा	447	269	182
11	हिमाचल प्रदेश	190	162	127
12	जम्मू एवं कश्मीर / लद्दाख	472	402	341
13	झारखंड	768	462	380
14	कर्नाटक	1,358	818	753
15	केरल	659	397	392
16	महाराष्ट्र	2,551	1,536	1,299
17	मणिपुर	134	114	96
18	मेघालय	108	92	55
19	मिजोरम	111	95	82
20	मध्य प्रदेश	1,674	1,008	919
21	नागालैंड	135	115	100
22	ओडिशा	1,153	694	590
23	पुदुचेरी	22	13	9
24	पंजाब	457	275	236
25	राजस्थान	1,550	933	782
26	सिक्किम	161	137	92
27	तमिलनाडु	1,745	1,051	1,010
28	तेलंगाना	752	453	449
29	त्रिपुरा	221	188	134
30	उत्तर प्रदेश	5,472	3,294	2,940
31	उत्तराखंड	725	617	477
32	पश्चिम बंगाल	3,059	1,841	1,586
	कुल	30,802	19,322	16,717

अनुबंध-II

“देश में समेकित विद्युत विकास योजना” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के तहत पूरे किए गए प्रमुख कार्यों के लिए प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

मर्दे (यूनिट)	लक्ष्य (यूटीलिटीयों द्वारा प्रदान की गई मात्रा)	उपलब्धि (यूटीलिटीयों द्वारा निष्पादित मात्रा)
नए विद्युत सब स्टेशन (सं.)	999	985
एचटी लाइनें (सीकेएम)	24,133	23,489
एलटी लाइनों (सीकेएम)	10,718	10,416
एबी केबिल (सीकेएम)	65,016	62,811
यूजी केबिल (सीकेएम)	21,894	20,588
रूप टॉप सोलर पैनल (केडब्ल्यूपी)	46,500	45,725

(स्रोत: पीएफसी)

“देश में समेकित विद्युत विकास योजना” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

राजस्थान में आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी कार्यान्वयन (एवीवीएनएल, जेएवीवीएनएल तथा जेडीवीवीएनएल)

राशि करोड़ रुपये में

1. प्रणाली सुदृढीकरण तथा वितरण परियोजना (एसटीएंडडी)

राजस्थान डिस्कॉम के लिए आईपीडीएस प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाओं के तहत सर्किल-वार वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	सर्किलों की सं. संस्वीकृत/पूर्ण	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	एवीवीएनएल	12/12	425	256	250
2	जेएवीवीएनएल	13/13	509	307	294
3	जेडीवीवीएनएल	10/10	382	230	213
	कुल	35/35	1316	793	757

(स्रोत: पीएफसी)

बीओक्यू (प्रमुख अवसंरचना कार्यों) वार आईपीडीएस 35 पूर्ण सर्किलों की वास्तविक प्रगति की स्थिति

व्यौरे	यूनिट	एवीवीएनएल	जेएवीवीएनएल	जेडीवीवीएनएल	कुल
नए सब स्टेशन	सं.	49	37	41	127
सब स्टेशन संवर्धन	सं.	59	89	47	195
वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	766	797	832	2395
एचटी लाइनें	सीकेएमएस	325	80	259	664
एलटी लाइनें	सीकेएमएस	16	22	43	81
एरियल बंड केबिल्स	सीकेएमएस	31	33	15	79
यूजी केबिल्स	सीकेएमएस	483	1451	884	2817
सोलर पैनल	केडब्ल्यूपी	220	168	-	388

(स्रोत: पीएफसी)

2. जीआईएस सब स्टेशन परियोजना

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	सब स्टेशन की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	जेएवीवीएनएल	4	30	18	5

(स्रोत: पीएफसी)

3. स्मार्ट मीटरिंग परियोजना

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	स्वीकृत मीटर की संख्या	संस्थापित मीटर की संख्या	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	एवीवीएनएल	1,88,860	68,339	38	23	4
2	जेएवीवीएनएल	2,81,782	1,72,632	57	34	10
3	जेडीवीवीएनएल	97,158	55,735	20	12	2
	कुल	5,67,800	2,96,706	114	69	16

(स्रोत: पीएफसी)

4. आईटी फेज II

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	कस्बे	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	स्थिति
1	एवीवीएनएल	36	11	7	1	कार्य पूरा हुआ
2	जेडीवीवीएनएल	25	9	5	1	

	कुल	61	20	12	2	
--	-----	----	----	----	---	--

(स्रोत: पीएफसी)

5. ईआरपी

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	कस्बे	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	एवीवीएनएल	12	8	0.12	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	22	13	0.27	
3	जेडीवीवीएनएल	22	13	0.10	
	कुल	56	34	0.49	

(स्रोत: पीएफसी)

6. आरटी-डीएस

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	जएवीवीएनएल	7	4	0.56
2	जेडीवीवीएनएल	6	4	0.54
	कुल	13	8	1.10

(स्रोत: पीएफसी)

आरएपीडीआरपी

1. भाग क आईटी

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	कस्बों की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण	भारत सरकार द्वारा जारी ऋण	स्थिति
1	एवीवीएनएल	30	53	53	16	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	27	164	164	84	
3	जेडीवीवीएनएल	30	100	100	30	
	कुल	87	316	316	130	

(स्रोत: पीएफसी)

2. भाग क (स्काडा)

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	कस्बों की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण	भारत सरकार द्वारा जारी ऋण	स्थिति
1	एवीवीएनएल	1	7	7	6	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	2	23	23	22	
3	जेडीवीवीएनएल	2	18	18	17	
	कुल	5	48	48	45	

(स्रोत: पीएफसी)

3. भाग ख

क्र.सं.	यूटिलिटी का नाम	कस्बों की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण	भारत सरकार द्वारा जारी ऋण	स्थिति
1	एवीवीएनएल	30	371	93	93	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	23	513	128	128	
3	जेडीवीवीएनएल	29	596	149	149	
	कुल	82	1480	370	370	

(स्रोत: पीएफसी)

डा. किरोणी लाल मीणा : सर, आईपीडीएस योजना के तहत जो भी काम कराये जा रहे हैं, वे राजस्थान में अभी पूरे नहीं हुए हैं, जबकि यह योजना मार्च, 2022 में बंद कर दी जाएगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू-कश्मीर के डेवलपमेन्ट पैकेज की तर्ज पर राजस्थान में भी आईपीडीएस के कार्य की अवधि बढ़ाई जाएगी?

श्री राज कुमार सिंह : माननीय उपसभापति महोदय, IPDS की अवधि बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। उसका कारण यह है कि हम लोग एक नई योजना 'Revamped Distribution Sector Scheme' लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत राज्यों को अपने distribution system को मज़बूत करने के लिए 3, लाख 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। उसी योजना से वितरण व्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए जो भी राशि चाहिए, वह राजस्थान सरकार ले सकती है। IPDS में भी उनका expenditure करीब-करीब 90 per cent के आस-पास आ गया है। कुछ ही प्रोजेक्ट्स होंगे, जो shortclose होंगे। जो भी short close होंगे, उसे वह नई योजना में ले सकते हैं।

श्री उपसभापति महोदय : सेकंड सप्लीमेंटरी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय उपसभापति महोदय, राजस्थान में IPDS योजना के जितने भी काम हुए, उनमें व्यापक स्तर पर गबन और घोटाले हुए हैं और इसमें 60 प्रतिशत से भी ज्यादा केन्द्र सरकार का फंड लगा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे उन गबन और घोटालों की जांच केन्द्र की किसी सक्षम एजेंसी से कराने का कष्ट करेंगे?

श्री राज कुमार सिंह : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने नोट कर लिया है। हमारे यहां से एक टीम जाएगी तथा सभी योजनाओं का तो नहीं, randomly कुछ योजनाओं का चयन करके हम लोग verify करा लेंगे कि जो काम बताया गया है, वह वास्तव में हुआ है या नहीं। इसकी हम लोग inspection करा लेंगे।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, under the IPDS Scheme, they wanted to ensure 24x7 power supplies to the urban areas. In respect of Andhra Pradesh, the Central Government allocated funds and, as a share of the Central Government, released Rs. 501 crores. I would like to know whether these IPDS projects are on ground in the State of Andhra Pradesh. If yes, at what stage they are there? During winter season, there were many power cuts in the State of Andhra Pradesh. And, it has further been indicated that there will be more power cuts in the coming season.

SHRI RAJ KUMAR SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, under various schemes, including the IPDS, we have given funds to the State of Andhra Pradesh. Under

the IPDS, we have given Rs. 879 crores; under the RAPDRP, we have given Rs. 507 crores; under the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, we have given Rs. 941 crores and Rs. 645 crores. In all, we have given Rs. 2,972 crores to Andhra Pradesh. This was the size of projects sanctioned. The grant from the Government of India, out of Rs. 2,972 crores, was Rs. 1,976 crores, and the rest was loan. Now, under that, we have released Rs. 1,821 crores as our share of grant, which is 92 per cent of the expenditure. Out of the money which we have released, they have constructed 308 new sub-stations, augmented the capacity of 96 sub-stations; purchased 21,838 transformers; laid down 8,439 LT lines and 6,258 circuit kilometers, etc., etc. I have given here the overall figures. The overall situation is that the average availability of power in the rural areas in the year 2015, when we carried out a survey, was about 12 hours. Today, it is about 21 hours. It could become possible because of the strengthening of the distribution systems. We have connected the whole country to one grid. We have strengthened the distribution system. Sir, in the past five years, under various schemes -- the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, the IPDS, the *Soubhagya*, etc. -- we have sanctioned schemes worth Rs. 2,02,000 crores. Out of which the Government of India's grant was about Rs.1,42,000 crores. As a result of that, the distribution system has been strengthened in such a way that, today, in rural areas, the availability of power is 21 hours and in the urban areas it is 23 hours. This is as per the last survey we carried out. Our objective remains to increase the availability to 24 hours. There are some gaps. Those gaps are partly because of many of the distribution companies are in heavy losses, especially the Government-owned distribution companies. So, they are not able to buy power. Those losses need to be addressed. Otherwise, we have strengthened the systems. Anything remaining as far as the system strengthening is concerned, we shall do under the new scheme, that is, Revamped Distribution Sector Scheme. But that Scheme is conditional. We shall give money only to those distribution companies and those States which take steps to reduce the losses because we just can't keep on pumping money into a bottomless well. So, we will give money for changing electricity lines, LT lines, setting up of sub-stations, etc., but if the distribution company does not have the money to maintain it, then, after five years, the distribution system will, again, collapse, and, after five years, we will be back from where we had started. So, we have made this Scheme conditional. We shall give money only to those distribution companies which decide to take steps to reduce the losses and the State Government stands by it.

SHRI RIPUN BORA: Sir, in the reply, in Annexure-I, it is shown that the total approved cost in respect of all the States under the IPDS is Rs.30,802 crores and the Government of India's total grant is Rs.19,322 crores. My question is: Will the Government of India give the remaining part to the States or not because if the Government of India does not give, the State has no power to complete it; it will be lying half done. This is what I want to know, Sir.

SHRI RAJ KUMAR SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, most of the schemes are reported to have been completed by the States. There are some gaps. We have given them time till the end of February to submit the completion reports after which these funds will be released. So, these funds are balance funds, which shall be released on the receipt of completion reports. We expect the completion reports of most of the schemes, almost about 95 per cent of the schemes, to reach us by the end of February. The sunset date for the Scheme is 31st March. We don't intend to extend it. If any part of the work is left, that can be covered under the new scheme.

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : माननीय उपसभापति महोदय, चूँकि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात कही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या देश में समेकित विद्युत विकास योजना के तहत ऐसी कोई योजना है, जिसके माध्यम से अन्नदाता ऊर्जादाता बन सके? अगर नहीं है, तो क्या माननीय विद्युत मंत्री जी इस पर विचार करना चाहेंगे?

श्री राज कुमार सिंह : उपसभापति महोदय, इस तरह की एक स्कीम है, जो कि already चल रही है, उसका नाम 'Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan' (PM-KUSUM) है। उसके अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और उससे जो भी ऊर्जा पैदा होगी, उसको डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ खरीदेंगी। इस योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। इसके तहत बैंक्स के द्वारा लोन देने में कुछ कठिनाइयाँ थीं, इसके लिए हमने Ministry of Finance, Department of Financial Services, RBI और बैंकों के साथ बैठक की और अब वे सारी problems sort out हो गई हैं। बैंक्स ने अपना एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। अब यह स्कीम और तेजी से चलेगी। यह स्कीम बहुत पॉपुलर है।

इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सोलर पैनल्स लगा करके ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। इससे काफी इन्कम होती है। किसान खुद भी सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है और वे चाहते हैं कि वे इसको डेवलपर से लगवाएँ, तो वे अपनी जमीन लीज पर देकर इसको डेवलपर से भी लगवा सकते हैं। अगर वे अपनी जमीन लीज पर देकर इसको डेवलपर से भी लगवाते हैं, तो उनको करीब 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की आमदनी होगी, जो कि काफी अच्छी इन्कम है। अगर वे खुद सोलर

पैनल्स लगाकर ऊर्जा पैदा करते हैं, तो उनकी इन्कम प्रति एकड़ प्रति वर्ष 35 से 40 हजार रुपए चली जाएगी। अगर उनका cultivated land है, तो वे वहाँ पर इसको stilts पर भी लगा सकते हैं।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 64.